

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी ह. Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374222964 Tel.No-01374222444 प्रांक- 4127 /12-1, कोटबंगला दिनांक 8 / 6 / 2021

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।

- विषय:— जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जामक बयाणा से स्याबा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.318 हे0 वन भूमि प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध मे। प्रस्ताव सं0— FP/UK/ROAD/29432/2017.
- सन्दर्भ :- <u>आपक पत्रांक 998/पी०एम०जी०एस०वाई०/सि०ख० दिनांक 15.052021 तथा इस कार्यालय का पत्रांक 3873/12-1 दिनांक 03.05.2021।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में अवगत कराना है कि विषयगत मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में दिनांक 25.03.2021 को हुई आर0ई0सी0 की बैठक के कार्यवृत्त में निर्णय निम्नवत् है –

"...It was also noticed that work has been started by the user agency without getting the working permission order from the DFO and therefore it is the violation of the condition imposed in the approval letter and as per the guidline para 1.21 (iii) of FC Act, 1980. After detailed discussion on various aspects of the proposal, the REC decided to impose the penalty to the extent of 20% of the (as it is a public utility project) on the User Agency."

उक्त निर्णय के कम में पूर्व इस कार्यालय द्वारा रू० 262800.00 की धनराशि जमा करने हेतु डिमाण्ड नोट प्रेषित किया गया है। आप द्वारा सन्दर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि उक्त डिमाण्ड नोट को नोडल कार्यालय द्वारा Online Reject की गया है तथा प्रभागीय वनाधिकारी को डिमाण्ड नोट की समीक्षा करने हेतु लिखा गया है। अतः पुनः समीक्षा निम्नानुसार है —

Forest Consevation Act. 1980 के पैरा 1.21(iii) के अनुसार,

"Violation /noncompliance of any conditions imposed while granting approval under FC Act. In such cases the penalty will be imposed on the recommendation of the APCCF Regional office in whose jurisdiction the alleged violation has occurred. The violation will be reported to REC/FAC and the committee will give time to comply the conditions within stipulated time.

- a. In case the offence is proved then the penalty shall be imposed for violation committed over forest area without approval equal to twice the normal NPV.
- b. In case of public utility projects of the government the penalty shall be 20 % of the penalty proposed in para (a) above."

उक्त को ध्यान में रखते हुए दण्ड की धनराशि आंकलन निम्नवत् है :-

NPV/hectare	Total Project Area	Total NPV	Twice of NPV	Penalty (For utility projects of the govt. @ 20 %)
657000	3.318 Hec.	657000 x 3.318 = 2179926	.2179926 x 2 = 4359852	4359852 X 20% = 8,71,970.00 Rs.

अतः रू० 8,71,970.00 की धनराशि ऑनलाईन चालान जनरेट कर RTGS/NEFT के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा कर, सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

> भवदीय (पुनीत तोमर) प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

पत्रांक

तद्दिनांकित्।

प्रतिलिपि – अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

> (पुनीत तोमर) प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।